

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/6170 /

जबलपुर, दिनांक 24/08/2024

II-14-26/99

श्रीमती बीनू पिल्लई, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को स्वीकृत संतान पालन दिनांक 06.11.2023 से 06.01.2024 तक 62 दिन एवं दिनांक 07.01.2024 से 04.05.2024 तक 119 दिन एवं दिनांक 05.05.2024 से 06.07.2024 तक 63 दिन के निरन्तरता में दिनांक 07.07.2024 से 03.08.2024 तक 28 दिन का संतान पालन अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/6171 /

जबलपुर, दिनांक 24/08/2024

II-14-26/99

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 3698/स्था. ग्वालियर, दिनांक 19/07/2024 के संदर्भ में श्रीमती बीनू पिल्लई, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर का आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)